न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम

मु० नं० 02/18 तारीख रजू 2-1-18

उनवान – भानसिंह बनाम तहसीलदार
नादौती (?) मोरड़ा

दावा बाबत इस्तकरार हक व इन्द्राज दुरुस्ती

वादी की ओर से श्री रामगोपाल गुप्ता एडवोकेट ने दावा बाबत इस्तकरार हक व इन्द्राज दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 88, 188 RTAct के तहत पेश किया। जमाबन्दी व शपथ पत्र का अवलोकन किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जरिये सम्मन से तलब कर दिनांक 16-1-18 को पेश हो। 66/3.1.18

जगदीश आर्य
उपजिला कलक्टर
टोडाभीम.

16-1-18

वादी वकील उप०। प्रतिवादी बमुजब सूचना उप० नहीं है। प्रकरण में तहसीलदार का जवाब प्राप्त होना आवश्यक है। तहसीलदार को पत्र लिख कर जवाब प्राप्त कर दिनांक 31-1-18 को पेश हो। 249/19-1-18

31-1-18 वादी वकील उप०। वास्ते जवाब दावा दिनांक 23-2-18 को पेश हो।

23-2-18 वकुलाय उपस्थित/पीठासन अधिकारी चुनाव कार्य से कोर्ट पर्चाल्ट है। अतः पत्रावली गतानुसार दिनांक 19-3-18 को पेश हो।

19-3-18 अवकाश

20-3-18 वादी वकील उप०। बइन्तजार जवाब सरकार दि० 9-4-18 को पेश हो।

9-4-18

वकुलाय उपस्थित/पीठासन अधिकारी करौली पधारे है। अतः पत्रावली गतानुसार दिनांक 18-4-18 को पेश हो।

Scanned by CamScanner

न्यायालय उप जिला कलक्टर टो

दिनांक	फर्द अहकाम
19.4.18	वादी वकील उपस्थित / तहसीलदार टोडाभीम से जांच रिपोर्ट अभिशंषा के साथ प्रस्तुत की है शामिल रहे / तहसीलदार उपस्थित / वादी वकील ने कथन किया कि वादी का सही नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाया जावे / तहसीलदार जी की भी रिपोर्ट अनुशंषा के साथ प्राप्त हो चुकी है दावा डिक्री फरमाया जावे / तहसीलदार टोडाभीम ने भी वादी का दावा डिक्री करने का कथन किया / बहस पर मनन किया पत्रावली में शामिल दस्तावेजो रिपोर्ट का अवलोकन किया / वादी का दावा डिक्री योग्य होने से डिक्री किया जाता है विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर (शामिल किया गया) पश्चात डिक्री जारी करें / पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।
	उप जिला कलक्टर टोडाभीम

न्यायालय उपजिला कलेक्टर टोडाभीम (करौली)

मु0नं0 दावा 2/2018 पीठासीन अधिकारी

तारीख रजू. 02.01.2018 जगदीश आर्य

(आर0ए0एस0)

उनवान

मानसिंह उम्र 64 वर्ष पुत्र लालसिंह जाति राजपूत निवासी जहानगर मोरडा तहसील टोडाभीम जिला करौली

– वादी

विरूद्ध

तहसीलदार तहसील टोडाभीम

– प्रतिवादी

दावा बाबत् इस्तकरार हक व इन्द्राज
दुरस्ती नाम अन्तर्गत धारा 88 राज0टे0एक्ट,
136 राज0ले0रे0एक्ट

उपस्थिति – श्री रामगरोसी गुप्ता एडवोकेट – पक्ष वादी

निर्णय दिनांक 19.04.2018

संक्षेप्त मे वादपत्र के तथ्य इस प्रकार है कि यह कि ग्राम मोरडा की जमाबंदी संवत 2072 से 2075 मे खाता संख्या 288 मे वर्णित खसरा नम्बरान 3498, 3499, 3500, 3501, 3502, 3503, 3504, 3505, 3506, 3507, 3508, 3509, 3510, 3511 कुल किता 14 कुल रकवा 5.00 हेक्टयर खातेदारी मन्नूसिंह पुत्र लालसिंह दर्ज है तथा खाता सं0 377 मे वर्णित खसरा नं0 2334 कुल किता 01 कुल रकवा 0.84 हेक्टयर मे खातेदारी मन्नूसिंह पुत्र लालसिंह दर्ज है तथा खाता सं0 402 मे वर्णित खसरा नं0 3371 कुल किता 01 कुल रकवा 0.66 हेक्टयर मे खातेदारी बच्चूसिंह पुत्र लालूसिंह दर्ज है जबकि सही नाम मानसिंह पुत्र लालसिंह है तथा वादी की ग्राम मोरडा मे खातेदारी की भूमि खाता सं0 384, 386 मे सही नाम मानसिंह पुत्र लालसिंह दर्ज है। मानसिंह, मन्नूसिंह, बच्चूसिंह एक ही व्यक्ति है। पटवारी हल्का की दृष्टि से मानसिंह के स्थान पर मन्नूसिंह, बच्चूसिंह दर्ज हो गया है तथा वादी के आधार कार्ड, आयकर विभाग व अन्य दस्तावेज मे मानसिंह ही नाम दर्ज है इस प्रकार यह वादपत्र नाम दुरस्ती के संबंध मे पेश किया जा रहा है। वादी के नाम दुरस्ती के संबंध मे

(करौली) राज0

उप जिला कलेक्टर
टोडाभीम (करौली)

तहसीलदार टोडाभीम से दिनांक 26.12.2017 को निवेदन किया तो उन्होंने कहा कि नाम दुरस्ती के संबंध मे न्यायालय मे दावा पेश करो तभी तुम्हारे नाम दुरस्ती हो सकती है और विनायदावा पैदा हुआ है तथा वादी ने रिलिफ चाही है कि दावा वादी खिलाफ प्रतिवादी बावत नाम दुरस्ती इन्द्राज जमाबंदी डिकि किया जाकर ग्राम मोरडा तहसील टोडाभीम की भूमि खाता संख्या 288 मे वर्णित खसरा नम्बरान 3498, 3499, 3500, 3501, 3502, 3503, 3504, 3505, 3506, 3507, 3508, 3509, 3510, 3511 कुल किता 14 कुल रकवा 5.00 हेक्टयर तथा खाता सं0 377 मे वर्णित खसरा नं0 2334 कुल किता 01 कुल रकवा 0.84 हेक्टयर तथा खाता सं0 402 मे वर्णित खसरा नं0 3371 कुल किता 01 कुल रकवा 0.06 हेक्टयर मे दर्ज नाम मन्नूसिंह व बच्चूसिंह के स्थान पर सही नाम मानसिंह पुत्र लालसिंह दर्ज किया जावे तथा तहसीलदार टोडाभीम को आदेश प्रदान किया जावे कि वे उपरोक्तानुसार रेवन्यु रिकार्ड जमाबंदी मे अमल करें। वादी ने अपने दस्तावेजी सबूत मे नकल जमाबंदी संवत 2072 से 2075 ग्राम मोरडा की प्रस्तुत की है तथा दस्तावेजी सबूत मे आधार कार्ड, आयकर विभाग का पहचान पत्र, नकल जमाबंदी संवत 2027 से 2030 प्रस्तुत की है और निवेदन किया है कि यह भूमि मुझे विरासत मे मिली है। नामान्तकरण मे क्लेरिकल मिस्टेक से मन्नूसिंह, बच्चूसिंह नाम दर्ज हो गया है।

वादी का दावा दर्ज रजिस्टर कर सम्मन प्रतिवादी जारी किये गये। तहसीलदार टोडाभीम से रिपोर्ट तलब की गई तथा जाच रिपोर्ट मे लिखा है कि यह भूमि वादी मानसिंह को अपने पिता से विरासत मे मिली है तथा मौके जाच की गई तो मानसिंह, मन्नूसिंह, बच्चूसिंह एक ही व्यक्ति है नाम शुद्धिकरण कर दिया जावे तथा उसके दस्तावेजात पहचान पत्र, आधार कार्ड आदि मे भी सही नाम मानसिंह है। मामला नाम दुरस्ती का है। ग्राम मोरडा की अन्य भूमि मे भी सही नाम मानसिंह दर्ज है।

वकील वादी की बहस सुनी। पत्रावली मे उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया, मामला नाम दुरस्ती का है। तहसीलदार टोडाभीम रिपोर्ट मे भी नाम शुद्धिकरण के संबंध मे रिपोर्ट भेजी है। वादी का दावा काबिले डिकि पाया जाता है।

अतः दावा वादी खिलाफ प्रतिवादी बावत नाम दुरस्ती इन्द्राज जमाबंदी डिकि किया जाकर ग्राम मोरडा तहसील टोडाभीम की भूमि खाता संख्या 288 मे वर्णित खसरा नम्बरान 3498, 3499, 3500, 3501, 3502, 3503, 3504, 3505, 3506, 3507, 3508, 3509, 3510, 3511 कुल किता 14 कुल रकवा 5.00 हेक्टयर तथा खाता सं0 377 मे वर्णित खसरा नं0 2334 कुल किता

उप जिला कलेक्टर
टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner

01 कुल रकवा 0.84 हेक्टयर तथा खाता सं0 402 मे वर्णित खसरा नं0 3371 कुल किता 01 कुल रकवा 0.06 हेक्टयर मे दर्ज नाम मन्नूसिंह व बच्चूसिंह के स्थान पर सही नाम मानसिंह पुत्र लालसिंह दर्ज किया जावे तथा तहसीलदार टोडाभीम को आदेश प्रदान किया जावे कि वे उपरोक्तानुसार रेवन्यु रिकार्ड जमाबंदी मे अमल करें। पर्चा फाईनल डिकि जारी हों।

निर्णय आज दिनांक 19.04.2018 को सुनाया एवं हस्ताक्षरित किया गया।

कार्यालय उपजिला कलेक्टर टोडाभीम (करौली) राज०

(जगदीश आर्य)
उपजिला कलक्टर, टोडाभीम
उप जिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)